

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 246/2023

दायर दिनांक 22.12.2023

वादी

प्रतिवादी

1. सादुल पुत्र अल्लादीन
2. मोहम्मद अयूब पुत्र अल्लादीन
जाति देशवाली निवासी
लाडाबास तहसील डीडवाना
जिला डीडवाना-कुचामन
राज0।

1. अब्दुल कयुम पुत्र स्व0 मो0 युसुफ
2. मो0 शब्बीर पुत्र स्व0 मो0 युसुफ
3. मो0 फारूख पुत्र स्व0 मो0 युसुफ
4. मो0 शरीफ पुत्र स्व0 मो0 युसुफ
5. आसमा बानो पुत्री स्व0 मो0 युसुफ
6. जुवेदा बानो पुत्री स्व0 मो0 युसुफ
7. आवेदा बानो पुत्री स्व0 मो0 युसुफ
8. समीना बानो पुत्री स्व0 मो0 युसुफ
9. राशीदा बानो पुत्री स्व0 मो0 युसुफ
10. सायरी बानो पत्नी स्व0 मो0 युसुफ
11. मो0 सलीम पुत्र स्व0 अ0 अजीज
12. मो0 जाबीद पुत्र स्व0 अ0 अजीज
13. मो0 आबीद पुत्र स्व0 अ0 अजीज
14. साजदा पुत्री स्व0 अ0 अजीज
15. मो0 मुंशी पुत्र स्व0 ईस्माइल
16. अब्दुल सलाम पुत्र स्व0 ईस्माइल
17. मो0 असलम पुत्र स्व0 ईस्माइल
18. शेर मो0 पुत्र स्व0 ईस्माइल
19. मो0 अयूब पुत्र स्व0 ईस्माइल
20. असरफ पुत्र स्व0 ईस्माइल
21. मुन्नी पुत्री स्व0 ईस्माइल
22. फातमा पुत्री स्व0 ईस्माइल
23. हफीजन पुत्री स्व0 ईस्माइल
24. साबरा पुत्री स्व0 ईस्माइल
25. रहमत पुत्री स्व0 ईस्माइल
26. रूजीना बानो पत्नी स्व0 मो0 सदीक
27. मे0 जमील पुत्र स्व0 मो0 सदीक
28. सजीद पुत्र स्व0 मो0 सदीक
29. रोशन पुत्री स्व0 मो0 सदीक
30. रूजीना पुत्री स्व0 मो0 सदीक
31. सानिया पुत्री स्व0 मो0 सदीक
32. सुमेरा पुत्री स्व0 मो0 सदीक समरत जाति
देशवाली निवासी लाडाबास, तहसील डीडवाना
जिला डीडवाना-कुचामन राज0।
33. तहसीलदार डीडवाना।

बनाम्

दावा बाबत्

बंटवाड़ा, घोषणा रास्ता व स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा-188, 53, 88

1. श्री भैरुसिंह शेखावत वकील वादी।
2. श्री लालसिंह वकील प्रतिवादीगण।

--: निर्णय :-

दिनांक 25.10.2024

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि सरहद रामसाबास के खाता सं0 31 खसरा सं0 612/5 रकबा 0.3400 हैक्टे0, खसरा सं0 613/252 रकबा 0.2428 हैक्टे0, खसरा सं0 614/253 रकबा 0.6672 हैक्टे0, खसरा सं0 617/8 रकबा 1.3200 हैक्टे0, खसरा सं0 622/13 रकबा 2.0500 हैक्टे0, खसरा सं0 623/14 रकबा 2.3800 हैक्टे0, खसरा सं0 625/16 रकबा 0.1400 हैक्टे0, खसरा सं0 626/17 रकबा 0.5989 हैक्टे0, खसरा सं0 627/268 रकबा 0.0486 हैक्टे0, खसरा सं0

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
डीडवाना



5. प्रतिवादीगण सं० 15 ता 32 के बंट व कब्जा काशत का खेत :-

सरहद रामसाबास के खेत खसरा सं० 622/13 रकबा 2.0500 हैक्टे० सम्पूर्ण, खसरा सं० 696/227 रकबा 1.1282 हैक्टे० सम्पूर्ण, खसरा सं० 697/239 रकबा 0.0890 हैक्टे० सम्पूर्ण, खसरा सं० 698/240 रकबा 0.4128 हैक्टे० सम्पूर्ण।

सरहद लाडाबास के खेत खसरा सं० 102 रकबा 0.7300 हैक्टे० सम्पूर्ण, खसरा सं० 148 रकबा 0.9600 हैक्टे० सम्पूर्ण, खसरा सं० 151 रकबा 0.5700 हैक्टे० सम्पूर्ण, खसरा सं० 28 रकबा 2.3500 हैक्टे० सम्पूर्ण, खेत खसरा सं० 72 रकबा 0.1300 हैक्टे० सम्पूर्ण, खसरा सं० 85 रकबा 3.0000 हैक्टे० सम्पूर्ण।

सरहद बालिया के खेत खसरा सं० 359 रकबा 2.1700 हैक्टे० सम्पूर्ण, खसरा सं० 890 रकबा 0.1300 हैक्टे० सम्पूर्ण, खसरा सं० 891 रकबा 0.2800 हैक्टे० सम्पूर्ण, खसरा सं० 912 रकबा 0.6500 हैक्टे० सम्पूर्ण।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण सं० 4 ता 10, 14, 15, 16, 18, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29 व 30 का राजीनामा दिनांक 24.07.2024 को पेश हुआ। जिसे बाद तस्दीक सामिल मिसल किया गया। प्रतिवादीगण सं० 1 ता 3, 11 ता 13, 17, 19, 20, 22, 26, 31, 32 का इकबालिया जवाब पेश हुआ। शेष प्रतिवादी सं० 33 तामिलगी के बावजूद न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही प्रभाव में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी ने बहस अपने वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तथा राजीनामा अनुरूप दावा डिक्री किए जाने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने वाद व राजीनामा व नजरी नक्शा के अनुसार दावा डिक्री किए जाने पर सहमति व्यक्त की।

बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया, उपरोक्त वर्णित भूमि में राजीनामा व नजरी नक्शा अनुसार बंटवाड़ा करवाने की इस्तदुआ कर रहा है। प्रतिवादीगण ने बाहमी बन्टवारा की पुष्टि में राजीनामा प्रस्तुत किया। प्रश्नगत भूमि के वादीगण व प्रतिवादीगण सहखातेदार है। सहखातेदार होने के कारण वादी बन्टवारा करवाने का कानूनन अधिकारी है।

अतः वादीगण व प्रतिवादीगण की तरफ से प्रस्तुत राजीनामा व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिपेक्ष्य में वादीगण का हस्तगत वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

:-: आदेश :-:

दावा डिक्री सादिर कर सरहद रामसाबास के खसरा सं० 612/5, 613/252, 614/253, 617/8, 622/13, 623/14, 625/16, 626/17, 627/268, 628/269, 665/177, 674/183, 675/235, 676/236, 683/186, 684/237, 685/238, 696/227, 697/239, 698/240, 710/199 कुल खसरा 21 व सरहद बालिया के खेत खसरा सं० 359, 360, 890, 891, 911, 912 कुल खसरा 6 एवं सरहद लाडाबास के खेत खसरा सं० 102, 121, 148, 151, 28, 72, 85, 88, 40 की भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण सं० 1 ता 32 को राजीनामा व नजरी नक्शा अनुसार स्वतन्त्र खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है। राजीनामा व दिनांक 24.07.2024 व नजरी नक्शा निर्णय व डिक्री का भाग होगा। तदनुसार रेकार्ड दुरुस्त हो।

(विकास मोहन भाटी)

उपखण्ड अधिकारी डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 25.10.2024 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(विकास मोहन भाटी)

उपखण्ड अधिकारी डीडवाना

628/269 रकबा 0.6625 हैक्टे०, खसरा सं० 665/177 रकबा 0.8900 हैक्टे०, खसरा सं० 674/183 रकबा 1.8711 हैक्टे०, खसरा सं० 675/235 रकबा 0.0809 हैक्टे०, खसरा सं० 676/236 रकबा 0.3480 हैक्टे०, खसरा सं० 683/186 रकबा 0.6686 हैक्टे०, खसरा सं० 684/237 रकबा 0.0567 हैक्टे०, खसरा सं० 685/238 रकबा 0.2347 हैक्टे०, खसरा सं० 696/227 रकबा 1.1287 हैक्टे०, खसरा सं० 697/239 रकबा 0.0890 हैक्टे०, खसरा सं० 698/240 रकबा 0.4128 हैक्टे०, खसरा सं० 710/199 रकबा 2.9700 हैक्टे०, कुल खसरा 21 कुल रकबा 17.2000 हैक्टे० भूमि वादीगण व प्रतिवादी सं० 1 ता 31 के स्वयं के व पूर्वजों के नाम से संयुक्त खातेदारी में है। नकल खतोनी वाद के साथ पेश है।

यह है कि सरहद बालिया के खाता सं० 185 के खेत खसरा सं० 359 रकबा 2.1700 हैक्टे०, खसरा सं० 360 रकबा 2.4400 हैक्टे०, खसरा सं० 890 रकबा 0.1300 हैक्टे०, खसरा सं० 891 रकबा 0.2800 हैक्टे०, खसरा सं० 911 रकबा 0.5900 हैक्टे०, खसरा सं० 912 रकबा 0.6500 हैक्टे०, कुल रकबा 6.2600 हैक्टे० भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण सं० 1 ता 31 के स्वयं के व पूर्वजों के नाम से संयुक्त खातेदारी में नाम अमल दरामद है। नकल खतोनी व नक्शा संलग्न है।

यह है कि सरहद लाडाबास के खाता सं० 12 खेत खसरा सं० 102 रकबा 0.7300 हैक्टे०, खसरा सं० 121 रकबा 1.7200 हैक्टे०, खसरा सं० 148 रकबा 0.9600 हैक्टे०, 151 रकबा 0.5700 हैक्टे०, खसरा सं० 28 रकबा 2.3500 हैक्टे०, खसरा सं० 72 रकबा 0.13000 हैक्टे०, खसरा सं० 85 रकबा 3.0000 कुल खसरा सं० 7 रकबा 9.4600 हैक्टे० भूमि, खाता सं० 44 खेत खसरा सं० 88 रकबा 3.4600 हैक्टे०, खाता सं० 43 खसरा सं० 40 रकबा 3.4200 हैक्टे० भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण सं० 1 ता 31 के पूर्वजों के नाम से संयुक्त खातेदारी में है। नकल खतोनी व नक्शा वाद के साथ प्रस्तुत है।

यह है कि सरहद लाडाबास, रामसाबास व बालिया में उपरोक्त वर्णित खसरानों की भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण सं० 1 ता 14 के पिता अब्दुल अजीज व मो० युसुफ के 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण सं० 15 ता 32 के पिता ईस्माईल के 1/2 हिस्से में संयुक्त खातेदारी में दर्ज है वादीगण व प्रतिवादीगण ने अपने पारिवारिक मौखिक बंटवारे अनुसार अलग-अलग कब्जा काशत चले आ रहे हैं। प्रार्थना वादी निम्न प्रकार है:-

कि वादीगण व प्रतिवादीगण सं० 1 ता 32 के पूर्वजों के नाम से सरहद बालिया, रामसाबास, लाडाबास में अवस्थित कृषि भूमि का बंट वादीगण व प्रतिवादीगण के बीच निम्न प्रकार से किया जाए-

1. वादी सादुल के बंट व कब्जा काशत का खेत

मौजा सरहद बालिया के खेत खसरा सं० 919 रकबा 3.9800 हैक्टे० सम्पूर्ण, खसरा सं० 911 रकबा 0.5900 हैक्टे० सम्पूर्ण।

मौजा सरहद रामसाबास के खेत खसरा सं० 674/183 रकबा 1.8711 हैक्टे०, खसरा सं० 675/235 रकबा 0.0809 हैक्टे०, खसरा सं० 676/236 रकबा 0.3480 हैक्टे०,

मौजा सरहद लाडाबास के खेत खसरा सं० 121 रकबा 1.7200 हैक्टे० में से 0.4318 हैक्टे० भूमि जो नजरी नक्शा मार्क ए की भूमि अनुसार।

2. वादी मोहम्मद अयुब के बंट व कब्जा काशत का खेत :-

मौजा सरहद रामसाबास के खसरा सं० 623/14 रकबा 2.3800 हैक्टे०, खसरा सं० 665/177 रकबा 0.8900 हैक्टे०,

मौजा लाडाबास के खेत खसरा सं० 121 रकबा 1.7200 हैक्टे० में से 0.4395 हैक्टे० भूमि जो नजरी नक्शा मार्क बी की भूमि, खसरा सं० 40 रकबा 3.4200 हैक्टे०, सम्पूर्ण।

3. प्रतिवादीगण सं० 1 ता 9 के बंट व कब्जा काशत का खेत

सरहद बालिया के खेत खसरा सं० 360 रकबा 2.4400 हैक्टे०, सम्पूर्ण,

सरहद रामसाबास के खेत खसरा सं० 617/8 रकबा 1.3200 हैक्टे०, सम्पूर्ण, खसरा सं० 710/199 रकबा 2.9700 हैक्टे० सम्पूर्ण।

सरहद लाडाबास के खेत खसरा सं० 121 रकबा 1.7200 हैक्टे० में से 0.4336 हैक्टे० भूमि जो नजरी नक्शा अनुसार मार्क डी की भूमि अनुसार

4. प्रतिवादीगण सं० 10 ता 14 के बंट व कब्जा काशत का खेत :-

सरहद रामसाबास के खेत खसरा सं० 612/5 रकबा 0.3400 हैक्टे० सम्पूर्ण, खेत खसरा सं० 613/252 रकबा 0.2428 हैक्टे० सम्पूर्ण, खसरा सं० 614/253 रकबा 0.6672 हैक्टे० सम्पूर्ण,

खसरा सं० 625/16 रकबा 0.1400 हैक्टे० सम्पूर्ण, खसरा सं० 626/17 रकबा 0.5989 हैक्टे० सम्पूर्ण, खसरा सं० 627/268 रकबा 0.0486 हैक्टे० सम्पूर्ण, खसरा सं० 628/269 रकबा 0.6625 हैक्टे० सम्पूर्ण,

खसरा सं० 683/186 रकबा 0.6686 हैक्टे० सम्पूर्ण, खसरा सं० 684/237 रकबा 0.0567 हैक्टे० सम्पूर्ण, खसरा सं० 685/238 रकबा 0.2347 हैक्टे० सम्पूर्ण।

सरहद लाडाबास के खेत खसरा सं० 88 रकबा 3.4600 हैक्टे० सम्पूर्ण, खसरा सं० 121 रकबा 1.7200 हैक्टे० में से 0.3548 हैक्टे० भूमि जो नजरी नक्शा मार्क सी के अनुसार है।

उपखण्ड नजरी नक्शा
डीडवाना

डिक्री व मुकदमों इत्यादी
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जावा दीवानी)

अज अदालत:- उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना,

वइजलास : पीठासीन अधिकारी:- विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 246/2023

दायर दिनांक 22.12.2023

वादीगण

प्रतिवादीगण

1. सादुल पुत्र अल्लादीन
2. मोहम्मद अयूब पुत्र अल्लादीन जाति देशवाली निवासी लाडाबास तहसील डीडवाना जिला डीडवाना-कुचामन राज0।

1. अब्दुल कयुम पुत्र स्व0 मो0 युसुफ
2. मो0 शब्बीर पुत्र स्व0 मो0 युसुफ
3. मो0 फारूख पुत्र स्व0 मो0 युसुफ
4. मो0 शरीफ पुत्र स्व0 मो0 युसुफ
5. आसमा बानो पुत्री स्व0 मो0 युसुफ
6. जुबेदा बानो पुत्री स्व0 मो0 युसुफ
7. आबेदा बानो पुत्री स्व0 मो0 युसुफ
8. सगीना बानो पुत्री स्व0 मो0 युसुफ
9. राशीदा बानो पुत्री स्व0 मो0 युसुफ
10. सायरी बानो पत्नी स्व0 मो0 युसुफ
11. मो0 सलीम पुत्र स्व0 अ0 अजीज
12. मो0 जाबीद पुत्र स्व0 अ0 अजीज
13. मो0 आबीद पुत्र स्व0 अ0 अजीज
14. साजदा पुत्री स्व0 अ0 अजीज
15. मो0 मुंशी पुत्र स्व0 ईस्माइल
16. अब्दुल सलाम पुत्र स्व0 ईस्माइल
17. मो0 असलम पुत्र स्व0 ईस्माइल
18. शेर मो0 पुत्र स्व0 ईस्माइल
19. मो0 अयूब पुत्र स्व0 ईस्माइल
20. असरफ पुत्र स्व0 ईस्माइल
21. मुन्नी पुत्री स्व0 ईस्माइल
22. फातमा पुत्री स्व0 ईस्माइल
23. हफीजन पुत्री स्व0 ईस्माइल
24. साबरा पुत्री स्व0 ईस्माइल
25. रहमत पुत्री स्व0 ईस्माइल
26. रूजीना बानो पत्नी स्व0 मो0 सदीक
27. मे0 जमील पुत्र स्व0 मो0 सदीक
28. सजीद पुत्र स्व0 मो0 सदीक
29. रोशन पुत्री स्व0 मो0 सदीक
30. रूजीना पुत्री स्व0 मो0 सदीक
31. सानिया पुत्री स्व0 मो0 सदीक
32. सुमेरा पुत्री स्व0 मो0 सदीक रामस्त जाति देशवाली निवासी लाडाबास, तहसील डीडवाना जिला डीडवाना-कुचामन राज0।
33. तहसीलदार डीडवाना।

बनाम्

दावा बाबत

बंटवाडा, घोषणा रास्ता व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा-188, 53, 88

दिनांक 25.10.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री भैरुसिंह शेखावत वकील वादी व श्री लालसिंह वकील प्रतिवादीगण की आरे से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है दावा डिक्री सादिर कर सरहद रामसाबास के खसरा सं0 612/5, 613/252, 614/253, 617/8, 622/13, 623/14, 625/16, 626/17, 627/268, 628/269, 665/177, 674/183, 675/235, 676/236,

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

683/186, 684/237, 685/238, 696/227, 697/239, 698/240, 710/199 कुल खसरा 21 व सरहद बालिया के खेत खसरा सं० 359, 360, 890, 891, 911, 912 कुल खसरा 6 एवं सरहद लाडाबास के खेत खसरा सं० 102, 121, 148, 151, 28, 72, 85, 88, 40 की भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण सं० 1 ता 32 को राजीनामा व नजरी नक्शा अनुसार स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजीनामा व दिनांक 24.07.2024 व नजरी नक्शा निर्णय व डिक्री का भाग होगा। तदनुसार रेकर्ड दुरुस्त हो।

नीज.....-..... मुंबलिंग.....-..... बाबत.....-.....
खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें। बसबत मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 25.10.2024 को सरे इजलास में जारी की गयी।

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	-	-	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Wkas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना